संख्या-12/2023/814/63-व0उ0-2023-60(एच)/2016टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2023**

विषयः- पावरलूम बुनकर हेतु फ्लैट रेट की व्यवस्था को दिनॉक 01 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक के लिये लागू रखे जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-10/2023/716/63व0उ0-2023-60(एच)/2016 दिनांक 06.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पावरलूम बुनकरों हेतु अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना दिनांक 01-04-2023 से लागू की गई है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-7 में यह उल्लिखित किया गया था कि "दिनॉक 01 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिये विद्युत बिल के भुगतान के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगें।"

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पावरलूम बुनकरों हेतु फ्लैट रेट की पूर्व की व्यवस्था को सम्यक् विचारोपरान्त दिनॉक 01 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक के लिये लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः दिनांक 01 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए पावरलूम बुनकरों के विद्युत बिल का भुगतान ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या-1969/24पी-3-2006 दिनांक 14.06.2006 में प्राविधानित फ्लैट रेट की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा, जिससे कि इस छूटी हुई अवधि का समायोजन किया जा सके।

दिनांक 01-04-2023 से पावरलूम बुनकरों के द्वारा विद्युत बिल का भुगतान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06-04-2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2023/814/63-व0उ0-2023 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरशेन लि0, लखनऊ।
6- निदेशक, (वितरण/वाणिज्यिक/कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरशेन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।